न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–12/2023

निर्णय दिनांक :–05.06.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

भुवाना पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी रामथला

–अप्रार्थी गण–

उपस्थिति :–

तहसीलदार देवली

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामथला की जमाबंदी सम्वत 2065–68 के खाता सं. 454 ख. नं. 377/1696 रकबा 0.46 हे0 में से नामान्तकरण सं. 961 दिनांक 23.10.2012 द्वारारकबा 0.46 है0 में से 0.38 है0 की खातेदारी प्रदान की गई थी। नामा.सं. 961 से खातेदारी उपरान्त ख. नं 377/1696 में से 0.46 है0 में से 0.38 है0 की तरमीम ख. नं. 377/1696 में से करने थी परन्तु तत्समय तरमीम ख. नं. 377 में कर दी गई जबकि ख. नं. 377 रकबा 3.94 है0 किस्म बंजडत्र सिवायचक दर्ज है। दर्ज रिकॉर्ड है। ख. नं. 377 में तरमीम करने से राजहित प्रभावित हुआ है। चरण सं. 1 में अंकित भूमि को खातेदारी देने के उपरान्त बने नये ख. नं. 1914/377 रकबा 0.38 है0 खातेदारी में दर्ज हुआ है व ख. नं. 377/1696 रकबा 0.08 है0 गैर खातेदारी में दर्ज हुआ है।

अधियाचनाः– अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम रामथला में से ख. नं. 377 में गलत की तरमीम 1914/377 को ख. नं. में शामिल करते हुए ख. नं. 1914/377 व 377/1696 की तरमीम प्रस्तावित नक्शे अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीसंख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने भुवाना की ओर से वकालतनामा पेश कर आदेशिका पर लिखा कि तहसीलदार ने जो पेश किया है वह स्वीकार है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार देवली के आदेश कमांक 8925 दिनांक 23.10.2012 से ग्राम रामथला के अनुसार साबिक ख. नं. 151/4 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आवंटन हुआ जिसको नामान्तकरण संख्या 329 दिनांक 25.01.1979 से दर्ज हुई । साबिका ख. नं. से नये हाल ख. नं. 377/1696 रकबा 0.46 है जो जमाबंदी सम्वत 2065–68 के खाता संख्या 454 में गैर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी को आवंटन 1 बीघा 10 बिस्वा के है0 में परिवर्तन करने पर 0.38 है0 बनता है। ख. नं. 377/1696 रकबा 0.46 है0 में सें नये ख. नं. 1914/377 रकबा 0.38 है0 की खातेदारी अप्रार्थी भुवाना के नाम दर्ज की गई व ख. नं. 377/1696 रकबा 0.08 है0 भूमि को गैर खातेदारी भी अप्रार्थी भुवान के नाम दर्ज की गई।

नामान्तकरण संख्या 961 से भुवाना पुत्र माधो जाति बैरवा को ख. नं. 377/1696 रकबा 0.46 है0 में से 0.38 है0 भूमि जिसका ख. नं. 377/1696/1 दर्ज कर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उक्त खसरा नम्बर की तरमीम ख. नं. 377/1696 की बजाय ख. नं. 377 सिवायचक मे कर दी गई जो नक्शा ट्रेस दिनांक 30.12.22 में दर्शित है। तहसीलदार अनुसार जिससे राजहित प्रभावित हुआ है।

तहसीलदार देवली का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने व अप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थना को स्वीकार करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेश दिया जाता है नक्शा ट्रेस दिनांक 30.12.22 में ख. नं. 377 में दर्शित ख. नं. 1914/377 की तरमीम को हटाकर आप द्वारा प्रस्तातिव तरमीम संलग्न नक्शा ट्रेस दिनांक 30.12.22 के अनुसार लाल पेन से डोटेड लाईन दर्शित ख. नं. की तरमीम को ख. नं. 1914/377 रकबा 0.38 है के रूप में व नीले पेने से दर्शित डोटेड लाईन को ख. नं. 377/1696 रकबा 0.08 है0 के रूप में राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में करे। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार देवली को प्रेषित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 05.06.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली